अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग
GRANT No. 6 - DEPARTMENT OF FERTILISERS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	109242,18,00	254856,49,00	254841,42,77	-15,06,23
पूरक	Supplementary	145614,31,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,06,03
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		5,00	..	-5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2852”	Major Head “2852”				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	6720242.00	16868178.07	16868178.06	-0.01
पू.	S.	10149208.00			
पु.	R.	-1271.93			

(I) ₹11.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :–

(का) "उर्वरक उद्योग – उर्वरक सहायिकी – यूरिया सहायिकी" – ₹5873678.58 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2022 तथा मार्च, 2023 में ₹8870220.81 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14743899.39 लाख किया गया जो, तथापि, एनआईसीएसआई से स्पष्टीकरण न मिलने के कारण एनआईसी भुवनेश्वर में आपदा से बहाली (डीआर) सर्वरों के अनुरक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹1158.11 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "इंजीनियरिंग उद्योग – परिवहन उपकरण उद्योग– भारत में व्यापारिक पातों की फ्लैगिंग" – दिसम्बर, 2022 में पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹216.00 लाख की निधि उपलब्ध कराई गई थी, जो, तथापि, भारत में व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग को प्रोत्साहन के लिए भारतीय फ्लैग्ड जलयानों को अर्हकता न मिल पाने के कारण ₹103.83 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of ₹11.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(A) "Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy - Urea Subsidy" - the original provision of ₹5873678.58 lakhs was augmented to ₹14743899.39 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8870220.81 lakhs in December, 2022 and March, 2023 which, however, remained unutilized to the extent of ₹1158.11 lakhs - due to requirement of less funds towards maintenance of Disaster Recovery (DR) servers at NIC Bhubneshwar owing to clarifications pending from NICSI.

(B) "Engineering Industries - Transport Equipment Industry - Flagging of Merchant Ships in India" - funds of ₹216.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in December, 2022 which, however, remained unutilized to the extent of ₹103.83 lakhs - due to non-qualification of Indian flagged vessel for promotion of flagging of merchant ships in India.

2. In the capital section of the grant, provision of ₹5.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads and was eventually surrendered.